भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2211

जिसका उत्तर शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की अनियमित आपूर्ति

2211. श्री छोटेलाल:
श्री जिया उर रहमान:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विशेषकर बुआई के सर्वाधिक अनुकूल मौसम के दौरान उर्वरकों की भारी कमी अथवा अनियमित आपूर्ति होती है जिससे देश भर में विशेषकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में किसानों को परेशानी होती है और कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने तथा उर्वरकों और अन्य वस्तुओं के मामले में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसी योजनाओं के माध्यम से वितरण और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): चल रहे खरीफ मौसम 2025 के दौरान देश में उर्वरकों जैसे कि यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है।

(ख) और (ग): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (एफसीओ) के प्रावधानों का उल्लंघन करके उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी में शामिल किसी भी व्यक्ति/उर्वरक कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं।

हालाँकि, उर्वरक विभाग ने प्रति खरीदार सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की अधिकतम सीमा 50 बोरी प्रति माह अर्थात सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की 600 बोरी प्रति वर्ष तय की है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिले के 'शीर्ष 20 खरीदारों' की मासिक सूची संबंधित जिलाधिकारियों के आईएफएमएस लॉग-इन में उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अलावा, उर्वरक विभाग ने एक डैशबोर्ड भी बनाया है जिसे https://urvarak.nic.in पर अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। डैशबोर्ड को विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य कृषि विभागों, जिला कलेक्टरों और राज्य विपणन संघों द्वारा की जाने वाली निगरानी के सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया गया है। राज्य सरकारें आईएफएमएस और ई-उर्वरक डैशबोर्ड पोर्टल के माध्यम से उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति की निगरानी भी कर रही हैं।

****